तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **. सुरेन्द्र कुमार वर्मा बनाम मोती भवन निमार्ण सहकारी समिति** **अपील संख्या जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/337**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.02.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स उपस्थित। प्रकरण में बार–बार आवाज दिलवाई गई उसके उपरान्त भी अपीलान्ट्स की ओर से कोई भी उपस्थित नही। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रकरण में पूर्व में भी अपीलान्ट की ओर कोई भी न्यायालय में उपस्थित नही होना अवगत कराते हुऐ प्रकरण में अंतिम बहस हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि पूर्व में भी कई बार अपीलान्ट या अपीलान्ट्स के अधिवक्ता न्यायालय में अनुपस्थित रहे है एवं उन्हे अंतिम अवसर भी दिया गया है उसके उपरान्त भी आज भी अपीलान्ट्स की ओर से न्यायालय के समक्ष कोई भी उपस्थित नही है। तत्पश्चात् अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.1999 के विरूद्ध पूर्व में भी न्यायालय हाजा के समक्ष वर्ष 2007 में अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें हस्तगत अपील के अपीलान्ट्स बतौर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 संयोजित है तथा उक्त अपील के निर्णय दिनांक 14.10.2009 के पैरा संख्या 4 में हस्तगत अपील के अपीलान्ट्स के अधिवक्ता का कथन रहा है कि वर्तमान रेस्पोडेन्ट मोती भवन निमार्ण सहकारी समिति के पक्ष में विक्रय इकरारनामा तस्दीक किया है, मौके पर समिति के सदस्यों ने निमार्ण कर लिये और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा डामर की पक्की सडकों व पानी की टंकी का निमार्ण कर लिया अर्थात भूमि रिहायशी में उपयोग हो रही है। ऐसी स्थिति में जब वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में ही न्यायालय हाजा द्वारा वर्तमान अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त अंतिम निर्णय दिनांक 14.10.2009 पारित किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा उसी आराजी बाबत पुनः न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करना कानूनन उचित प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष कोई भी उपस्थित नही होने एवं अपीलान्ट्स की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज की जाती है। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	